

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी 2013—माघ 26, शक 1934

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
(नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

राजगढ़, दिनांक 31 जनवरी 2013

क्र. 90-डूडा-2013.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट नगरपरिषद् के संबंध में उक्त सारणी के तत्स्थानी कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट वार्डों की संख्या अवधारित करती है, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	नगर परिषद् का नाम (2)	वार्डों की संख्या (3)
1	नगर परिषद् कुरावर जिला राजगढ़	15

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर,
मध्यप्रदेश

अशोकनगर, दिनांक 7 फरवरी 2013

क्र. डूडा-2013-185.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 29 की उपधारा (1) के तारतम्य में तथा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, संकेत भोंडवे, कलेक्टर, जिला अशोकनगर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट नगरपरिषद् के लिये कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट वार्डों की संख्या अवधारित करता हूँ :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	नवगठित नगर परिषद् का नाम (2)	वार्डों की संख्या (3)
1	नगर परिषद् शाढौरा, जिला अशोकनगर	15 (पन्द्रह)

संकेत भोंडवे, कलेक्टर.